न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

ा0पत्र संख्या–08 / 2021
ा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–04.02.2021
र्णय दिनांक–12.03.2022

ोपाल पुत्र चन्द्रा जाति बैरवा निवासी ग्राम जौंला तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

हसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 03 रकबा 0.2276 हैक्ट. व ख0न0 1793 रकबा 0.2782 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5058 हैक्ट. वाके ग्राम ला तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोपाल स्थान पर रामगोपाल अंकित है जो गलत हैं और दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त वर्णित आराजीयात के जस्व रिकॉर्ड के अतिरिक्त ग्राम जौंला में ही प्रार्थी के नाम अन्य खातों का राजस्व रिकॉर्ड भी है। जिसमें प्रार्थी सही नाम गोपाल अंकित हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि दस्तावेजों में सही गोपाल ही दर्ज है। अतः श्रीमान के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार माया जाकर आराजी ख0न0 2276 हैक्ट. व ख0न0 1793 रकबा 0.2782 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5058 ट. वाके ग्राम जौंला के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का गलत दर्ज हो रखा नाम रामगोपाल के स्थान पर गोपाल कर राजस्व रिकॉर्ड शुद्ध किये जाने का आदेश प्रदान करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार, पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से स्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, पीपलू ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ला में वर्णित आराजीयात भूमि ख0न0 1403 रकबा 0.2276 हैक्ट. व ख0न0 1793 रकबा 0.2782 कुल किता कुल रकबा 0.5058 हैक्ट. रामगोपाल पुत्र चन्द्रा जाति बैरवा निवासी ग्राम जौंला के नाम वर्तमान राजस्व ॉर्ड में दर्ज है। यह भूमि रामगोपाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की थी। विक्रय पत्र अनुसार ही

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

रामगोपाल पुत्र चन्द्रा के नाम नामान्तकरण स्वीकार होकर आज दिनांक तक इसी नाम से अंकन चला आ रहा है। विक्रय पत्र तथा राजस्व रिकॉर्ड में कोई भिन्नता या त्रुटी नहीं हैं।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र प्रस्तुत कथन किया कि विवादित आराजीयात मेरी खातेदारी की है किन्तु उसमें मेरा नाम रामगोपाल अंकित है। मेरा सही नाम गोपाल है। पूर्व में मुझे रामगोपाल भी पुकारा जाता था। गोपाल व रामगोपाल मैं ही हूँ। राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम रामगोपाल की जगह गोपाल दर्ज किया जावें व पन्नालाल पुत्र बालूराम जाति बैरवा निवासी ग्राम पीपलू ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि मैं गोपाल पुत्र चन्द्रा जाति बैरवा निवासी ग्राम जौंला को जानता हूँ। यह मेरे परिवार के ही है। गोपाल को रामगोपाल के नाम से भी जाना जाता है। दोनो नामों से एक ही व्यक्ति हैं। राजस्व रिकॉर्ड में कई जमाबंदीयो में तो गोपाल ही दर्ज है। एक में रामगोपाल दर्ज है। जिसकी दुरूस्ती हेतु आवेदन पेश किया हैं।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1403 व ख0न0 1793 वाके ग्राम जौंला में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोपाल के स्थान पर रामगोपाल अंकित है जो गलत हैं। उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड के अतिरिक्त ग्राम जौंला में ही प्रार्थी का नाम अन्य खातों का राजस्व रिकॉर्ड भी है। जिसमें प्रार्थी का सही नाम गोपाल अंकित हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि दस्तावेजों में सही नाम गोपाल ही दर्ज है। अतः श्रीमान प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर आराजी ख0न0 2276, 1793 वाके ग्राम जौंला के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का गलत नाम रामगोपाल के स्थान पर गोपाल दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे।

हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों यथा मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, शपथ पत्रों व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व खाता संख्या 648 व 274 जमाबंदी संवत् 2072–75 वाके ग्राम जौंला का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी का सही नाम गोपाल पुत्र चन्द्रा है। खाता संख्या 386 जमाबंदी संवत् 2072–75 में अंकित भूमि आराजी 1403 रकबा 0.2276 हैक्ट. व ख0न0 1793 रकबा 0.2782 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5058 हैक्ट. वाके ग्राम जौंला तह0 पीपलू में प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र चन्द्रा दर्ज हैं। जो त्रुटीपूर्ण है। अतः प्रार्थी गोपाल पुत्र चन्द्रा का उक्त वर्णित आराजीयात में जो त्रुटीपूर्ण नाम रामगोपाल पुत्र चन्द्रा दर्ज हैं। उसके स्थान पर गोपाल पुत्र चन्द्रा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner